न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—522/2016/223 (2016/000522)

1. बाबूलाल पुत्र सगराम, जाति रेगर, निवासी पिचोलिया, तह0 पीसांगन जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गुलाबचंद पुत्र सगराम, जाति रेगर, नि0 पिचोलिया, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 30.11.2016 अंतर्गत वाद संख्या 22/2016.

उपस्थितः—

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री पुष्पेद्र सोनी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—26.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांग के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पिचोलियण तहसील पीसांगन अवस्थित खाता संख्या 142 पुराना 141 में वादी एवसं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिविादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित करता है। उक्त आराजी का आज दिवस तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है । जिससे आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है एवं संयुक्त रूप से काश्त करना नामुमकिन हो गया है । वादी उक्त आराजी का विधिक बंटवारा करना चाहता है परन्तु प्रतिवादी बंटवारे को तैयार नहीं है एवं बिना विधिक बंटवारे के ही प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी पर पक्का निर्माण करवाना चाहता है । अतः वाद पत्र स्वीकार फरमा कर विधिक बंटवारे हेतु आदेश जारी किया जावे एवं प्रतिवादी

संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे कि वह वादी की आराजी में से वादी के हक व हिस्से पर से न तो वादी को बेदखल करे एवं न ही वादी को शांति कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न करे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 29.7.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार कर बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत निर्णय दिनांक 30.11.2016 को पारित कर अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में कुरेजात रिपोर्ट/मौका पर्चा दिनांक 28.8.2016 को तैयार करते समय अपीलांट/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की विधिवत् पालना किये बिना अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2016 को पारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070–73 के अनुसार अपीलांट का 2/3 हिस्सा एवं रेस्पो0 का 1/3 हिस्सा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि की नोयत को समझे बिना रेस्पो0 संख्या 1 को अवांछित लाभ पहुंचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अपीलांट को सूचित किये बिना कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 28.8.2016 एक्स पार्टी तैयार की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । तहसीलदार ने रेस्पो0 संख्या 1 की मर्जी अनुसार नक्शे में रंग भरकर अपीलांट को अपनी संयुक्त खातेदारी के खसरा नंबर 1812/3204 गैर मुमकीन चाह कुंए पर आने–जाने के लिये कोई रास्ता कायम नहीं किया जाकर अपीलाधीन आदेश विधि के बाध्यकारी प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तहसीलदार को न्यायिक बंटवारा हेतु मौका कमीश्नर नियुक्त किया था इसके बावजूद वादग्रस्त आराजियात के बंटवारा कुरेजात हल्का पटवारी ने बनाकर पेश किये है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं थे । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जिसे विधिसममत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2016 को निरस्त कर विवादित आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा गैर मुमकिन चाह भूमि खसरा नंबर 1812/3204 में आने–जाने हेतु रास्ता कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जाकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

5. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्राथमिक डिक्री की पालना में कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु अपीलांट को सूचित किया गया था किन्तु अपीलांट जानबूझकर मौके पर उपस्थित नहीं हुए । बंटवारा की कुरेजात रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है जो सही है । यदि कुरेजात रिपोर्ट से अपीलांट को कोई आपत्ति थी तो अधी0न्याया0 के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी । अधी0न्याया0

का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारा के संबंध में कुरेजात रिपोर्ट/मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सूचित नहीं किया तथा गैरमुमकिन चाह पर आने–जाने हेतु कोई रास्ता कायम नहीं किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 28.8.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट केवल रेस्पो0 संख्या 1 एवं अन्य ग्रामवासियान की मौजूदगी में तैयार की गई है । इस मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट पटवापरी हल्का पिचोलिया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है । पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट/वादी को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु सूचित किया गया हो । उक्त मौका रिपोर्ट में गैर मुमकीन चाह पर अपीलांट के आने–जाने हेतु रास्ता भी नजरी नक्शे में नहीं दर्शाया गया है जबकि गैर मुमकिन चाह पक्षकारान का संयुक्त है। तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान को सूचित कर स्वंय मौके पर पक्षकारान की मौजूदगी में नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिये थे । उक्त विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तैयार किया जाने से विधिसम्मत् नहीं माने जा सकते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2016 खारिज योग्य प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2016 खारिज की जाती है । प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करे । पक्षकारान दिनांक 22.4.2019 को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर